



2026:AHC-LKO:12830-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 145 / 2026

चरणदीप सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रधान सचिव राजस्व विभाग लखनऊ व 5 अन्य प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	एस.के. सिंघानिया
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सुश्री पारुल बाजपेयी, ए.सी.एस.सी.

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

- कथित तौर पर जनहित में यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें विपक्षीगण को जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में शारदा नदी के तट पर, शारदा पुल से पलिया की ओर नदी क्षेत्र के 5 किमी के दायरे में मिट्टी/बालू के अवैध खनन को रोकने और उक्त क्षेत्र में आवंटित मौजूदा खनन पट्टों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
- याचिका के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अचानक 24.12.2025 से याचिकाकर्ता ने कथित अवैध खनन गतिविधि के संबंध में प्रत्यावेदन देना शुरू कर दिया, जिसके बाद दिनांक 29.12.2025, 09.01.2026, 16.01.2026 और 28.01.2026 को प्रत्यावेदन दिए गए और यह याचिका 05.02.2026 को दायर की गई है।
- याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि कथित अवैध खनन रातों-रात शुरू हो गया था, साथ ही किसी भी खनन पट्टा धारक को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने स्वयं पट्टों को रद्द करने की मांग की है।
- जब इस संबंध में प्रश्न किया गया, तो अधिवक्ता ने संकेत दिया कि जिनके पास खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार है, उन्हें पक्षकार बनाया गया है।
- विषय वस्तु की बिना किसी जांच के जनहित याचिका दायर करना और अचानक ऐसे मुद्दे के प्रति जागरूक होना जो याचिकाकर्ता के अनुसार स्वयं लंबे समय से चल रहा है, बार-बार प्रत्यावेदन देना और इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, स्पष्ट रूप से मामले में वास्तविक जनहित के अलावा कुछ और ही दर्शाता है।
- पर्याप्त जांच और आवश्यक पक्षकारों के अभाव में, हमें इस याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरुण भंसाली, सीजे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18 फरवरी, 2026

संदीप/आशीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"